रवि प्रकाश अग्रवाल व अन्य

बनाम

राजेश प्रसाद अग्रवाल व अन्य

(सिविल अपील 2008 की संख्या 1668)

29 फरवरी, 2008

(डाॅ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे.जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश 41 नियम 41 (आर): के तहत अपील, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ जिसमें उच्च न्यायालय ने विवादित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं - प्रार्थना पत्र-आदेश वापिस लिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा दिए जाने वाले आदेश को निरस्त किया गया-अपील पर, माना गयाः उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आदेश जो कि यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में थे वह पर्याप्त अवधि के लिए जारी रहे हैं- इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को जारी रखना उचित होगा- विचारणीय न्यायालय को मुकदमें का जल्द से जल्द निपटारा करने हेतु निर्देशित किया गया-निर्देश जारी।

अपीलकर्ताओं ने एक मुकदमा और निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र निष्पादित विक्रय विलेख जो कि प्रत्यर्थी क्रम 1 द्वारा प्रत्यर्थी क्रम 3 के पक्ष में निष्पादित की है को शून्य घोषित करने और उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से जारी करने कि उन्हें बेदखल करने से रोका जाए और साथ ही विवादित संपत्ति काे बेचने, किराए पर देने और निपटाने से भी रोका जाए। विचारणीय न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा मंजूर की। उक्त आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच द्वारा दी जाकर पक्षकारों को विवादित संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर आदेश वापिस ले लिया गया और अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश नौ साल तक जारी रहा और विवादित आदेश से स्थिति बदल गयी है।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1 यथास्थिति का आदेश काफी समय तक जारी रहा। इसलिए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देना उचित होगा जैसा कि मूल रूप से उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2021 के तहत दिया था।

1.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सुरक्षा देने से एेसा ना समझा जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी की है। विचारणीय न्यायालय को मुकदमे का यथाशीघ्र निपटारा करना होगा।

सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र : सिविल अपील 2008 की संख्या 1668

एफ.ए.एफ.ओ संख्या 1741/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.07.2006 से।

राकेश द्विवेदी, रितेश अग्रवाल, एम. जेड. चौधरी और अनीस अहमद खान अपीलकर्ताओं के लिए।

दिनेश द्विवेदी, श्रीश कुमार मिश्रा और अजय कुमार सिंह, प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय डाॅ. अरिजित पसायत, जे. सुनाया गया

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 1(आर) के अंतर्गत पहली अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैः

अपीलकर्ताओं ने वादीगण के रूप में तीन अनुतोष के लिए (मुकदमा 1999 की संख्या 445) दायर कियाः

i. प्रत्यर्थी- प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 22.02.1999 को प्रत्यर्थी- प्रत्यर्थी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को शून्य घोषित किया जाए।

ii. वादी को विवादग्रस्त संपत्ति से बेदखल करने से रोकने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए।

iii. एक अन्य स्थायी निषेधाज्ञा जो प्रत्यर्थी संख्या 1,2 व 4 को संपत्ति बेचने, किराए पर देने और निपटारा करने से राेकने हेतु।

4. एक प्रार्थना पत्र बाबत निषेधाज्ञा भी दायर किया गया था। दिनांक 4.5.1999 को निषेधाज्ञा का एक पक्षीय आदेश दिया गया था। उक्त आदेश को संशोधित करने की प्रार्थना अस्वीकार कर खारिज कर दी गयी। दिनांक 24.11.2001 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा एक सहमति आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने छह महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने के निर्देश दिए और आगे निर्देशित किया कि विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनायी रखी जावे जब तक कि उसका शर्तों पर निपटारा नहीं हो। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि उसके अधिवक्ता को नहीं

सुना गया। अपीलकर्ताओं का तर्क रहा कि उसका बचाव खारिज कर दिया गया है। आदेश दिनांक 09.01.2002 को वापिस ले लिया गया। उच्च न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना को रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि यथास्थिति का आदेश नौ वर्षों तक जारी रहा और आक्षेपित आदेश से स्थिति बदल गई है। निर्धारित शर्तों की वास्तव में कोई परिणामी प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि उस स्थिति में मामले के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को पक्षकार बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि आदेश सम्मति का है और इसलिए तर्क को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. न्यायालय ने यह पाया है कि यथास्थिति का आदेश काफी समय तक जारी रहा। इसलिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देना उचित होगा जैसा कि मूल रूप से उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 24.11.2001 के तहत दिया था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह सुरक्षा देने से एेसा नहीं समझा जावे कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है। हम विचारण न्यायालय से अनुरोध

करते हैं कि वह मुकदमें को यथाशीघ्र अधिकतम 2008 के अंत तक निपटाएं।

8. तदनुसार, खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीषा अग्रवाल-द्वितीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।